and methods of unearthing the escaped income and pre-dominant-influence of the parallel economy on all economic activities in the country.

Shri Sathe, in the backdrop of his observations that income earners do not want get identified by the tax authorities for fear of harrassment has proposed an expenditure based income-tax scheme for resource mobilisation through personal income-tax. The scheme starts with identification of the legitimate tax worthy income earners as the first step. This is followed by the basis suggested to evolve two main parameters for assessment of income viz. ascertainment of income on the basis of salaries, allowances, wages, perks, interests, rent, dividend, etc. and expenditure based presumptive income determined on the basis of items like electricity bill, cooking gas, water bill, house tax, rent, ownership and use of television, VCR, telephone, two wheelers, cars, etc. The minimum rate of tax is suggested to be 5% and the highest rate of tax at 20%.

(c) Yes Sir! The suggestions are being examined by the Government.

(d)The suggestions are on a markedly different line from the present scheme of taxation of income. It would, therefore, be too early to furnish any details.

किसानों को ऋण दिया जाना

875. श्री राधाकिशन मालवीय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसानों को पाइप लाइन तथा विद्युत मोटर लगाने हेतु 50,000 रुपये से 3,00,000 रुपये तक का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन ऋणों को साफ करने अथवा इन पाइप लाइनों पर 50% राज सहायता देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अबरार अहमद): (क) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत, किसानों को पाइप लाइन तथा बिजली की मोटर लगाने के लिये ऋण देते हैं जिसके लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख) सूचना प्रणाली से पाइप लाइनों और बिजली की मोटरों के संबंध में अलग-अलग आंकड़े प्राप्त नहीं होते। अलबत्ता, नाबार्ड ने मध्य प्रदेश में वर्ष 1992-93 के दौरान, लघु सिंचाई के लिए 3323 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार, ऋणों की सामान्यीकृत माफी अथवा उन्हें बट्टे खाते डालने के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे वसूली संबंधी वातावरण खराब हो जाता है जिससे बैंकों द्वारा किये जाने वाले निधियों के पुनः निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है।

"राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" द्वारा ऋण प्रदान किया जाना

876. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" (नाबार्ड) द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल को पुनर्वित्त पोषण के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) इस धनराशि पर प्रभावित ब्याज दर कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ अबरार अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई पुनर्वित्त की राशि नीचे दी गई है:—

(लाख रुपए)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93
मध्य प्रदेश	13531	15867	15325
उत्तर प्रदेश	33947	38176	41224
पश्चिम बंगाल	8278	9432	10590

(ख) नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की राशि पर वसूल की गई ब्याज दर नीचे दी गई है:—